

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-964/12

संस्थित दिनांक-05.12.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

करु उर्फ मनेन्द्र पुत्र निरंजनसिंह जाट उम्र 30 साल

निवासी ग्राम झांकरी थाना मौ जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 06.07.2017 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/106 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 27.11.12 को शाम 6:10 बजे हरनामपुरा के सामने चितौरा रोड झांकरी में मिनी बस क्रमांक एम०पी०-०७ जी-3307 को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा वाहन का परिचालन बिना चालन अनुज्ञप्ति एवं बिना बीमा के किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि० की धारा 337 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 27.11.12 को फरियादी महेश कुमार, विशुनाबाई एवं मुन्नीदेवी के साथ अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर ग्वालियर जा रहा था। जैसे ही चितौरा झांकरी मार्ग पर हरनामपुरा के सामने पहुंचा तभी चितौरा तरफ से मिनी बस एम०पी०-०७ जी- 3307 का चालक करु उर्फ मनेन्द्र जाट तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे वे लोग गिर पड़े, उन्हें चोटें आईं। उक्त आशय की रिपोर्ट से चौकी झांकरी पर शून्य पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। थाना मौ के अप०क्र०-248/12 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को

गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.11.12 को शाम 6:10 बजे हरनामपुरा के सामने चितोरा रोड झांकरी में मिनी बस क्रमांक एम0पी0-07 जी-3307 को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2-क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर तथा वाहन का परिचालन बिना चालन अनुज्ञप्ति एवं बिना बीमा के किया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में महेश कुमार राठौर अ0सा0 1, डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 2, रामकरन शर्मा अ0सा0 3 मुन्नीदेवी अ0सा0 4, विशना अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

#### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निष्कर्ष //

7. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी महेश कुमार अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना सन 2012 की है। वे मौ० तरफ से मुरार की तरफ अपनी मोटरसाईकिल से अपनी पत्नी एवं साली विशनाबाई के साथ जा रहे थे। मुरार तरफ से मिनी बस एम0पी0-07 जी-3307 का चालक गाडी को तेजी व लहराते हुए लाया और उसकी मोटरसाईकिल में सामने से टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया, गिरने से उसके दाए हाथ, दाए पैर में चोट आई। पत्नी मुन्नी को सिर में दांयी तरफ तथा साली विशनाबाई को भी सिर में चोट आई थी। उसके रिश्तेदार रणजीतसिंह थे जो उसे उठाकर चौकी झांकरी पर लाए थे वहां से गोहद इलाज हेतु आए थे। साक्षी प्र0पी0 1 की रिपोर्ट पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 पर भी अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। नक्शामौका प्र0पी0 3 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। साक्षी उक्त बस के चालक का नाम करु जाट होना बताता है और सामने आने पर पहचान लेने का कथन करता है। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर बताता है कि यह बस नहीं चला रहा था और स्वतः कथन करता है कि अंधेरा होने लगा था, रास्ते

के लोगों ने नाम बताया जिनके आधार पर उसने बस चालक का नाम करू जाट बता दिया था। इस प्रकार से अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार करते हुए घटना के समय उक्त बस को अभियुक्त द्वारा चलाए जाने के तथ्य से इंकार करते हुए रास्ते के लोगों (राहगीरों) के द्वारा नाम बताए जाने पर अभियुक्त का नाम प्रकरण में बताया है। ऐसे में अभियुक्त के संबंध में फरियादी की साक्ष्य अन्य साक्ष्य की अभिपुष्टि के बिना विश्वास योग्य नहीं कही जा सकती है।

8. साक्षी मुन्नीदेवी अ०सा० 4 एवं विशना अ०सा० 5 दोनों आहतगण हैं, अपने अभिसाक्ष्य में उक्त साक्षियों ने चितौरा झांकरी मार्ग पर ग्राम हरनामपुरा के पास उनकी मोटरसाईकिल में बस द्वारा टक्कर मार देने से चोटें कारित होने का कथन करती हैं। उक्त दोनों साक्षीगण न तो बस का कोई नंबर बताती हैं और उसके चालक के संबंध में कथन करती हैं। अभिकथित बस किस रीति से चल रही थी, इस संबंध में भी कोई कथन साक्षीगण ने नहीं किया है। साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने कथित दुर्घटना में लिप्त बस का नंबर एम०पी०-०७ जी-३३०७ होने से इंकार किया है। इसके अलावा अभियुक्त करू द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार देने के संबंध में भी सुझाव से इंकार किया है। साक्षीगण बस चालक को पहचानती नहीं हैं। प्रकरण में साक्षियों द्वारा अभिकथित बस के चालक के रूप में अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में इंकार किया है। साक्षी अ०सा० 4 व 5 द्वारा पुलिस कथन प्र०पी० 8 व 9 के विनिर्दिष्ट भाग पढ़कर सुनाए जाने पर उनसे इंकार किया है। साक्षी महेश अ०सा० 1 ने अवश्य कथित वाहन बस एम०पी०-०७ जी-३३०७ के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मार देने का कथन अवश्य किया है किन्तु उक्त बस को अभियुक्त चला रहा था, इस संबंध में उसका नाम राहगीरों द्वारा बताए जाने का कथन किया गया है जो कि विश्वसनीय नहीं हैं। फरियादी महेश ने उनके साथ रिश्तेदार रणवीरसिंह का होना बताया है जबकि रणवीरसिंह को प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया है। फरियादी महेश अ०सा० 1 द्वारा अभियुक्त को देखकर यह कथन किया है कि वह घटना दिनांक को बस नहीं चला रहा था ऐसे में उसकी संलिप्तता का कथन विश्वसनीय नहीं हैं।

9. डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 2 आहतगण के चोटों के संबंध में कथन करते हैं। चूंकि प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। ऐसे में उपहति के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक नहीं हैं। रामकरन शर्मा अ०सा० 3 दिनांक 29.11.12 को उक्त वाहन मिनी बस एम०पी०-०७ जी 3307 का मैकेनिकल परीक्षण करने पर वाहन के आगे चालक की साईड में बंपर के उपर खरोंच पाए जाने का कथन करते हैं और शेष सभी सिस्टम सही काम करने की रिपोर्ट प्र०पी० 7 दिया जाना बताते हैं। किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि उक्त खरोंच कितने समय पुरानी थी। ऐसे

में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अधिरोपित आरोप के संबंध में दोषसिद्ध किए जाने हेतु तर्कपूर्ण एवं विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं हैं। स्वयं घटना के सर्वोत्तम साक्षीगण महेश अ०सा० 1, मुन्नीदेवी अ०सा० 4 व विशना अ०सा० 5 के द्वारा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता का प्रश्न संदेहपूर्ण बना दिया है। आहत मुन्नी अ०सा० 4 व विशना अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित बस के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में तथ्यों से इंकार करती हैं। जहां तक प्राथमिकी प्र०पी० 2 और पुलिस कथन प्र०पी० 8 व 9 का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनमें सारवान विरोधाभास एवं विसंगति मौजूद है।

10. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 27.11.12 को शाम 6:10 बजे हरनामपुरा के सामने चितोरा रोड झांकरी में मिनी बस क्रमांक एम०पी०-07 जी-3307 को लोकमार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा वाहन का परिचालन बिना चालन अनुज्ञप्ति एवं बिना बीमा के किया। अतः अभियुक्त को धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

12. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

13. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही /—

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश